अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1720/2026

मो0 अकलू एवं एक अन्य बनाम् बिहार सरकार

16.07.2026 आवेदक/अभियुक्त मो0 अकलू एवं 2. मो0 चुंना, जिन्हें कल्याणपुर थाना कांड सं0–212/2026, अन्तर्गत धारा 126(2),109,303(2),351(2),3(5) भा0 न्या0 सं0, में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचक मो0 सकिल के आवेदन–पत्र के आधार पर आवेदकगण सहित अन्य अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 05.06.2026, समय 9.00 बजे रात्रि में प्राथमिकी नामित अभियुक्तगण डी0जे0 पर अश्लील गाना बजा रहा था। उसी पर उसका लड़का मो0 उजाले घर से बाहर निकल कर अश्लील गाना बजाने से मना किया। इसी पर सभी उसके लड़का मो0 उजाले को पकड़कर बेरहमी से मारने लगा और मो0 करीम फरसा से जान मारने की नियत से हमला किया जिससे उसके लड़का मो0 उजाले का सर कट गया और मो0 अकलू और मो0 चुंना सोना का चैन छीन लिया तथा गला दबा रहा था। हल्ला पर अगल–बगल के लोग जुटे तो उसके लड़का का जान बचा।

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार चौधरी अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं एवं कोई अपराध नहीं किया है तथा दुश्मनी एवं द्वेष के कारण इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद में धारा 109 भा0 न्या0 सं0 का आरोप आकर्षित नहीं होता है एवं आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा धारा 303(2) भा0 न्या0 सं0 का आरोप सजावटी है जो वाद को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि कथित घटना नहीं घटी है एवं आवेदकगण को ग्रामीण राजनीति तथा प्रतिद्वंदिता के कारण इस वाद में झूठा फंसा दिया गया हैं। आवेदकगण के पलायन एवं उनके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वे बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदकगण को उनकी गिरफ्तारी या निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक मो0 अकलू और मो0 चुंना सूचक के लड़का मो0 उजाले का सोना का चैन छीन लिया तथा गला दबा रहा था। आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट करने या चैन छीनने का आरोप विशिष्ट रूप से नहीं लगाया गया है। केस दैनिकी की कंडिका 42 में जख्मी मो0 उजाले का जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार जख्मी को साधारण जख्म कारित हुआ

Web Copy

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1720 / 2026

लगातार

16.07.2026 है। जमानत आवेदन–पत्र की कंडिका 3 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप पर विचारोपरांत आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त मो0 अकलू एवं 2. मो0 चुंना द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर मो0 10,000 रू0 साथ समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित बंध–पत्र भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 482(2) के शर्तो के साथ दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy